Research Paper | Social Science | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 5 | Issue : 12 | Dec 2019



DAHEJ PRATHA KA BHARTIYA SAMAJ PAR PRABHAV

दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव

Dr. Pinki Kumari

श्री सत्यनारायण सहनीए मो0–रहमगंज कोल डिपो,पो0–लालबाग, जिला–दरभंगा–846004, बिहार

ABSTRACT

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गो को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान–सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के बिदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा। संपन्न परिवार की बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहूमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा।

शब्द संकेत : दहेज, महिला, पारिवारिक, प्रथा एवं उपहार।

विषय–प्रवेश :

दहेज का अर्थ है, विवाह के समय दी जाने वाली वस्तुएँ। हमारे समाज में विवाह के साथ लड़की को माता–पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। इस अवसर पर अपना स्नेह प्रदशित करने के लिए कन्या–पक्ष के लोग लड़की तथा लड़के सम्बन्धियों को यथाशक्ति भेंट दिया करते हैं। यह प्रथा कब शुरू हुई, कहा नहीं जा सकता। लगता है कि यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। हमारी लोक कथाओं और प्राचीन काव्यों में दहेज प्रथा का काफी वर्णन हुआ है। दहेज एरक सात्विक प्रथा थी। कन्या अपने घर में श्री समृद्धि की सूचक बने। अतः उसका खाली हाथ पतिगृह में प्रेवश अपशकुन माना जाता है। फलतः वह अपने साथ वस्त्राभूषण, बर्तन तथा अन्य पदार्थ ले जाती है।

कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में कन्या को पराई वस्तु कहा है। वस्तुतः वह धरोहर है, जिसे पिता कन्यादान के द्वारा दूसरे (पति) को सौंप देता है। जिस प्रकार बैंक अपने पास जमा की गई धरोहर राशि को ब्याज सहित चुकाता है उसी प्रकार पिता भी धरोहर कन्या को सूद दहेज सहित लौटाता है। इस प्रकार दहेज में कुछ आर्थिक कर्त्तव्य की भावना भी निहित है।

हजार वर्ष की पराधीनता और स्वतंत्रता के गत 69 वर्षों की स्वच्छन्दता ने दहेज प्रथा को विकृत कर दिया है। कन्या की श्रेष्ठता, शील, सौन्दर्य से नहीं बल्कि दहेज से आँका जाने लगी है। कन्या की कुरूपता और कुसंस्कार दहेज के आवरण में आच्छादित हो गए। खुलेआम वर की बोली लगने लगी। दहेज में प्रायः राशि से परिवारों का मूल्यांकन होने लगा। समस्त समाज जिसे ग्रहण कर ले वह दोष नहीं गुण बन जाता है। फलतः दहेज सामाजिक विशेषता बन गई है। दहेज प्रथा जो आरम्भ में स्वेच्छा और स्नेह से भेंट होने तक सीमित रही होगी अब धीरे–धीरे विकट रूप धारण करने लगी है। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले ही दहेज में ली जाने वाली धन–राशि तथा अन्य वस्तुओं का निश्चय करने लगे हैं।

भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित है। पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहारस्वरूप कुछ दिया जाता था परन्तु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज के अभाव में योग्य कन्यायं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती है। लोग धन देकर लड़कियों को खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता। गरीब परिवार के माता–पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती है।

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गो को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान–सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के बिदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा। संपन्न परिवार की बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि

बहूमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा।

मूल रूप से दहेज एक कुप्रथा है। गौरतलब है कि भारत में 8.9 प्रतिशत लड़कियाँ 13 वर्ष की उम्र से पहले ब्याह दी जाती है जबकि अन्य 23.5 प्रतिशत लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। जाहिर है लड़की जितनी पढ़ेगी–बढेगी उतना ही उपयुक्त वर तलाशना होगा और उसके रेट के मुताबिक दहेज जुटा पाना सबके बूते की बात नहीं है इसलिए कम उम्र की कम पढ़ी–लिखी लड़की ब्याह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना अधिकांश लोग बढ़िया मान लेते हैं। दहेज के दानव के भय से ही पूरे देश में गैरकानूनी अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक में हर रोज लाखों लड़कियाँ माँ की कोख में ही मार दी जा रही है। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुई 1000 लड़कियों में से 766 लड़कियाँ ही समाज में जीवित रहती है। लड़कियों की उपेक्षा का आलम ये है कि संभ्रांत समझे जाने वाले परिवारों ने भी यह समझना नहीं चाहा है कि परिवार में बेटियों का जन्म नहीं होगा तो इसी परिवार में बहुएँ कहाँ से आएँगी।

हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहां व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो–चार होना पड़ता है। यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतने ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है।

दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात् बहुओं को मारा–पीटा जाता है। यहां तक कि उन्हें जला दिया जाता है। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राचीन काल में स्त्री–पुरूष का प्रणय बंधन कभी एक पुनीत रीति था। माता–पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे। कन्यादान को महादान समझा जाता था। बेटी के विवाह पर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को प्रेम से जो भी उपहार देते थे वर पक्ष उसे स्वीकार करता था।

कालांतर में उसने दहेज का रूप धारण कर लिया है। आज उस दहेज के नाम पर बड़ी–बड़ी चीजों की मांग की जाती है। दहेज न दे पाने के कारण बारात वापिस ले जाते हैं। लोग आज दहेज मांगने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं करते। पैसे वाले लोग अपनी बेटियों के विवाह पर अपार धन खर्च करते हैं। बड़ी–बड़ी चीजें जैसे ए.सी, गाड़ियां, कीमती वस्त्र, गहने आदि चीजें देते हैं। उसी को देखा–देखी वर पक्ष के लोग गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से भी बड़ी–बड़ी चीजों की मांग करते हैं। आज इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

यह समस्या प्रत्येक लड़की के माता–पिता की समस्या बन गई है। इस समस्या ने असंख्य कन्याओं के माता–पिता का चैन लूट लिया है। दहेज के कारण पढ़ी–लिखी सुंदर, सुशील, कमाऊ लड़कियों की भी शादी नहीं हो पा रही है। लड़का कुरूप तथा मोटी लड़की से भी शादी कर लेता है क्योंकि वह खूब सारा दहेज लेकर आती है परन्तु उसे मध्यम वर्ग की सुंदर सुशील लड़की से विवाह करना गवारा नहीं जो दहेज कम लाएगी। प्रतिदिन अखबारों में दहेज उत्पीड़न के मामले पढ़ने को मिलते हैं। आज शादी का बंधन पवित्रता का बंधन नहीं बल्कि सौदेबाजी का व्यापार बन गया है।

आज दहेज का दावानल पूरे पूरे युवा पीढ़ी को गिल रही है। आज बेरोजगार और बेकार युवा की कीमत दो लाख तक लग जाती है और नौकरी बालों की बोली तो जब लगती है तो जो सर्वाधिक दे उसी के हाथ बिकेगा। दहेज का डायन होने के कई प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण यह कि जब बहू घर में आती है तो अपने साथ दहेज के अभिमान को भी लेकर आती है। नतीजा सुख–चैन की समाप्ति हो जाती है और बहूओं के आत्महत्या इसका चरम है। आज दहेज के औचित्य पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला यह कि हम दहेज लेकर अपनी शानो–शौकत का जो दिखावा करते है क्या वह उचित है? दूसरे के पैसा पर यह दिखावा झूठी शान ही तो है ? यदि दिखावा ही करना है तो अपने पैसे से करें। दहेज का रेट आज सातवें आसमान पे है। इसके लिए केवल दहेज लेने वाला ही दोषी नहीं बल्कि देने वाला भी उतना ही दोषी है। आज चपरासी की नौकरी लगी नहीं कि उसे खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। न तो उसके संस्कार देखे जाते हैं और न ही उसका चरित्र। इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधे पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी है। वहीं पैसे के पीछे इतनी दिवानगी दिखाता है कि शर्म आ जाए और अभिभावक जब बहू के द्वारा सम्मान नहीं मिलने की बात कहते हैं तो हंसी आती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी कहा गया है कि बालिग पुरूषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के किसी बंधन के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने, विवाह के दौरान और विवाह विच्छेद के मामले में समान अधिकार है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि विवाह के इच्छुक पति–पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह होंगे। इस तरह से दहेज के कारण हुए बेमेल विवाहों, दहेज के नाम पर नित हो रहे शोषण, दहेज उत्पीड़न एवं लड़कियों के जन्म, शिक्षा एवं पोषण में हो रहे सामाजिक पारिवारिक भेदभाव को भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में रखा जा सकता है।

आधुनिक युग में कन्या की श्रेष्ठता उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा दी जाने वाली दहेज की रकम एवं वस्तुओं से की जाती है। आज इसी कारण बेटियों को बोझ समझा जाता है। उसके जन्म लेने पर खुशियां नहीं मनाई जाती है।

भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, तालाक, वेश्यावृत्ति, बेमेल विवाह जैसे अनेक बुराईयां दहेज प्रथा के कारण ही पनपती है। इस कुप्रथा के कारण ही अनेक लड़कियाँ अविवाहित रह जाती हैं या अयोग्य लोगों के पल्ले बांध दी जाती है। कितनी ही लड़कियां दहेज के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर चुकी हैं और कितनी ही लड़कियां अपने माता–पिता पर बोझ बनकर बैठी हैं।

दहेज देने की होड़ में लड़की के माता पिता कर्जदार होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वहीं लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिये नवविवाहिता को तंग करते हैं अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कार्य भी करते हैं। कई बार लड़की यह सब ताने और अत्याचार नहीं सह पाती तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या तलाक के लिये मजबूर हो जाती है।

दहेज एक सामाजिक कोढ़ है। इससे छुटकारा पाने के लिये हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देना होगा। उनको शिक्षित करना होगा। सरकार ने दहेज लोभियों को दंडित करने के लिए अनेक नियम बनाए हैं परन्तु फिर भी यह प्रथा समाज में पनप रही है। वर को चाहिए कि वह जहां भी विवाह करेगा वह दहेज के बिना होगा। तथा बधू को चाहिए कि वे दहेज लोभी वर तथा उसके परिवार से संबंध रखने एवं विवाह करने से ही मना कर दे। वर की योग्यता एवं पद के अनुसार दहेज की मांग की जाती है। कभी–कभी तो वर पक्ष के लोग दहेज की मांग विवाह मंडप में रखते हैं ताकि कन्या पक्ष के लोग मान–मर्यादा की खातिर उनकी हर मांग पूरी करने पर विवश हो जाएं।

दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कुरीतियों में से एक है जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है। इसके लिए भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अलावे विशेष रूप से दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू है जिसके अन्तर्गत प्रबंध निदेशक, राज्य महिला विकास निगम को राज्य दहेज निषेद पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला दहेज निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है। हर माह में हरेक जिले के डी. एम. एवं एस.पी. को एक दिन दहेज विरोधी दरबार लागने के साथ–साथ क्षेत्रान्तर्गत आयोजित विवाह समारोहों की सूचना संधारित की जानी है एवं दहेज निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित विवाह समारोहों के रिकार्ड रखने के लिए बाजाब्ता प्रपत्र परिचालित हैं जिनमें वर–वधू को प्राप्त उपहारों की सूची बनाकर वर–वधू एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाना है। सरकार ने दहेज–निषेध पदाधिकारी को यह भी निर्देश दे रखा है कि दहेज–निषेध के कतिपए प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति की बाद में सूचना मिलने पर भी थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी0 498 ए एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा–3–4 एवं 6 के अन्तर्गत थाने में दायर इन मुकदमों की पैरवी भी सरकारी स्तर से थाने से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक समाज कल्याण विभाग को ही करना है।

दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशापः

भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियाँ इस गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक है। जाति–पाति, छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं के कारण विश्व के उन्नत समाज में हमारा सिर लाज से झुक जाता है। समय–समय पर अनेक समाज सुधारक तथा नेता इन कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते रहे हैं, किन्तु इनका समूल नाश सम्भव नहीं हो सका है। दहेज प्रथा तो दिन–प्रतिदिन अधिक भयानक रूप लेती जा रही है।

एक ओर वर पक्ष की लोभी वृत्ति ने इस रीति को बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर ऐसे लोग जिन्होंने काफी काला धन इकट्ठा कर लिया था, बढ़–चढ़ कर दहेज लेने लगे। उनकी देखा–देखी अथवा अपनी कन्याओं के लिए अच्छे वर तलाश करने के इच्छुक निर्धन लोगों को भी दहेज का प्रबन्ध करना पड़ा। इसके लिए बड़े–बड़े कर्ज लेने पड़े, सम्पत्ति बेचनी पड़ी, अपार परिश्रम करना पड़ा लेकिन वर पक्ष की मांग सुरसा के मुख की भान्ति बढ़ती गई।

दहेज कुप्रथा का एक मुख्य कारण यह भी है कि आज तक हम नारी को नर के बराबर नहीं समझते हैं। लड़के वाले समझते हैं कि वे लड़की वालों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही नहीं विवाह के बाद भी वे लड़की को मन से अपने परिवार का अंग नहीं बना पाते। यही कारण है कि वे ह्दयहीन बनकर भोली–भाली, भावुक, नवविवाहित युवती को इतनी कठोर यातनाएं देते हैं।

पूर्व अध्ययनों की समीक्षाः

पूर्व अध्ययनों की समीक्षा के क्रम में विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखित पुस्तकों का अवलोकन किया गया है जिसमें:

एम0एन0 श्रीनिवास (1988) द्वारा लिखित पुस्तक ''सम रिफ्लेक्सन ऑफ डाउरी'' में कहना है कि दहेज प्रथा की शुरूआत प्राचीन काल से ही है जिसमें शादी के समय लड़की के पिता लड़की के विदाई के समय गाय, वर्तन, जेवरात एवं कुछ नकद देते थे। वहीं दहेज कलान्तर में विभत्स रूप लेकर समाज को दूषित कर रहा है।

एम0सी0 पाल (1993) द्वारा लिखित पुस्तक ''डाउरी एज ए सिम्बॅाल ऑफ ओमेन्स सबोर्डिनेशन इन इण्डिया'' में कहना है कि प्राचनी समय में दक्षिणा एवं स्त्री धन के रूप में लड़की की शादी के बाद विदाई के समय में दिया जाता था जिसे आज की भाषा में दहेज कहा जाता है। उस समय विदाई के समय दिया जाने वाला दक्षिणा या उपहार लड़की के घर बसाने में आवश्यक वस्तुओं का होना था।

मधु किश्वर एवं बनीता रूथ (1984) के द्वारा लिखित आलेख ''इण्डियन ओमेन्स भॉइसेज'' में कहना है कि आधुनिक समय में दहेज की प्रथा विभित्स रूप ले चुका है जो नई नवेली दुलहन को मौत के घाट तक पहुँचा रहा है।

के0एस0 सेनभागम (1992) ने अपने अध्ययन ''लॉ ऑफ ओमेन्स

राईट्स'' में पाया कि दहेज का प्रभाव समाज को दूषित कर रहा है। लड़की को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाने वाले कृत्य का आज विभत्स रूप लेकर लेन–देन का सौदा हो गया है और वर पक्ष के द्वारा मुंह मांगा कीमत नहीं देने पर लड़की को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।

मधु किश्वर (1993) द्वारा लिखित ''डॉउरी केल्कुलेशन्स'' आलेख में कहना है कि उत्तरी भारत में लड़की शादी बिना दहेज का नहीं हो पाता है। वर पक्ष के द्वारा मांगे गये दहेज की पूर्ति नहीं करने पर शादी के बाद लड़की को तरह–तरह की यातनाएं दी जाती है। अब दहेज का विभत्स रूप सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो चुका है। दहेज के प्रकार मात्र अर्थ में नीहित नहीं रह गया है बल्कि वस्तुओं में भी नीहित हो गया है।

उपरोक्त अध्ययनों में दहेज से संबंधित तथ्यों का अवलोकन किया गया है किन्तु समाज पर दहेज का प्रभाव पर अभी तक कोई कारगर अध्ययन संपादित नहीं हो सका है। अतः यह शोध समाजिविज्ञानियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का तथ्य परक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित हैः–

- इस अध्ययन के आधार पर दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।
- वर्त्तमान अध्ययन के आधार पर दहेज प्रथा का प्रारम्भ एवं वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण एवं समीक्षात्मक अन्वेषन किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। वर्त्तमान अध्ययन दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव के विविध पक्षों के अन्वेषण से संबंधित है अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र–पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

समस्या का समाधान : दहेज प्रथा बन्दा कैसे हो, इस प्रश्न का एक सीधा सा उत्तर है–कानून से। लेकिन हम देख चुके हैं कि कानून से कुछ नहीं हो सकता। कानून लागू करनेके लिए एक ईमानदार व्यवस्था की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जबतक सशक्त गवाह और पैरवी करने वाले दूसरे लोग दिलचस्पी न लेंगे, पुलिस तथा अदालतें कुछ न कर सकेंगी। दहेज को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक चेतना आवश्यक है। कुछ गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिस घर में बड़ी बारात आए या जो लोग बड़ी बारात ले जाएं उनके घर गांव का कोई निवासी बधाई देने नहीं जाता। दहेज के लोभी लड़के वालों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है।

निष्कर्ष :

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए स्वयं युवकों को आगे आना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने माता–पिता तथा अन्य संबंधियों को स्पष्ट शब्दों में कह दें शादी होगी तो बिना दहेज की होगी। इन युवकों को चाहिए कि वे उस संबंधी का डटकर विरोध करें जो नवविवाहिता को शारीरिक या मानसिक कष्ट देते हैं। इस घृणित रोग से समाज रोम–रोम पीड़ित है। सरकार को चाहिए वे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, नुक्कड़ नाटकों तथा साहित्य के माध्यम से यह संदेश जन–जन तक पहुंचाए कि दहेज लेना एवं देना पाप है। दहेज लोभियों का पता लगने पर उन्हें दण्डित किया जाएगा तथा सजा दी जाएगी। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई कमजोर नीतियों के कारण बनाए गए कानून कारागार सिद्ध नहीं हुए हैं। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को जागृत होना होगा। बुराई के विरोध में खड़े होना होगा। दहेज देने तथा लेने वालों का बहिष्कार करना होगा। तभी इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ स्रोत :

1. M.N. Srinivas (1988) in his book “Some Reflection Dowry” The India Economic and Social History Riview, Oxford University Press, New Delhi.
2. Madhu Kishwar (1993) in his article “Dowry Calculations” in “Manushi” No. 73, New Delhi.
3. M. C. Paul (1993) in his work “ Dowry as a Symbol of Women's Subordination in India”.
4. Madhu Kishwar and Ruth Vinita (1984) have studied the role of women's organisation and movement against dowry. In their article “In search of Answers”
5. K.S. Shenbhagam (1992) has studied the laws related to dowry and the dowry death in the work “Laws of Women's Rights”. xiv Roksana Badruddoja California State University.